

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025 Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 2023

संख्या एफ 3(20)वन/2013 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा बांरा जिले की अन्ता तहसील की 1610.73 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण अनुसूची-1 में है तथा जिसका सीमा विवरण अनुसूची -2 के अनुसार हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये **सोरसन संरक्षण आरक्षिती प्रथम (Conservation reserve)** घोषित करती है, जिसे भविष्य में **सोरसन संरक्षण आरक्षिती प्रथम** के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची-1

क्र. सं.	नाम कन्जर्वेशन रिजर्व	सम्मिलित वनखण्डों के नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति
1	सोरसन संरक्षण आरक्षिती प्रथम	सोरसन “अ”	सम्पूर्ण वनखण्ड	1020.97	रक्षित
2		अमलसरा	सम्पूर्ण वनखण्ड	226.943	रक्षित
3		सोरसन “स”	सम्पूर्ण वनखण्ड	10.50	अवर्गीकृत
4		अमलसरा द्वितीय	सम्पूर्ण वनखण्ड	223.03	अवर्गीकृत
5		धाकडखेडी (प्रस्तावित)	सम्पूर्ण वनखण्ड	64.80	अवर्गीकृत
6		ताखा (प्रस्तावित)	सम्पूर्ण वनखण्ड	2.25	अवर्गीकृत
7		नियाना ए (प्रस्तावित)	सम्पूर्ण वनखण्ड	37.52	अवर्गीकृत
8		नियाना बी भाग 1 व 2 (प्रस्तावित)	सम्पूर्ण वनखण्ड	24.72	अवर्गीकृत
		योग		1610.73	

खसरा वार भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल हैक्टर में		विशेष
				खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
बारां	अन्ता	सोरसन "अ"	सोरसन	1	17.11	
				2	13.49	
				3	13.6	
				5	18.85	
				6	18.81	
				7	14.17	
				8	20.61	
				9	13.91	
				10	15.16	
				11	14.82	
				37	13.31	
			योग	11	173.84	
			मानपुरा	128	2.52	
				129	14.43	
				130	14.85	
				131	0.08	
				132	12.23	
				133	9.5	
				134	2.49	
				135	12.33	
			योग	8	68.43	
			बावड़ीखेड़ा	45	8.66	
				46	11.81	
				47	7.12	
				126	7.63	
				127	6.06	
				128	7.9	
				129	18.36	
				130	9.1	
				131	6.85	

				132	9.23	
			योग	10	92.72	
			मोहम्मदपुरा	92	11.63	
				102	5.29	
				103	11.3	
				104	7.27	
				105	3.13	
				106	4.19	
				107	7.05	
				108	6.18	
				109	6.60	
				110	5.04	
				111	6.6	
				112	7.12	
				115	7.09	
				116	5.44	
				117	5.85	
				118	7.47	
				119	6.3	
				120	5.75	
				121	6.04	
				122	8.09	
				191	10.83	
				192	3.02	
				193	9.85	
				194	7.83	
			योग	24	164.96	
			बिलेण्डी	104	24.92	
				105	33.48	
				106	24.96	
				107	17.43	
				108	15.82	
				109	16.80	

				111	16.70	
				112	8.65	
			योग	8	158.76	
			ताखा	356	7.51	
				357	4.30	
				358	5.50	
				359	8.50	
				360	8.50	
				361	5.50	
				362	5.50	
				363	8.50	
				370	8.62	
				371	8.62	
				372	8.50	
				373	8.50	
				374	3.69	
				375	7.95	
				376	2.82	
				377	7.22	
				378	4.82	
				379	7.03	
				380	5.93	
				381	4.45	
				382	4.67	
				383	4.50	
				384	4.30	
				385	2.87	
				386	8.37	
				387	5.56	
			योग	26	162.23	
			केथोड़ी	29	8.92	
				30	8.67	
				31	8.68	

				32	6.01	
				33	3.94	
				34	11.74	
				35	15.93	
				36	8.00	
				37	6.00	
				38	6.00	
				39	8.00	
				40	8.00	
				41	12.53	
				42	5.86	
				184	5.92	
				185	8.18	
				186	12.00	
				187	10.73	
				188	10.00	
				189	4.96	
				190	9.00	
				191	3.32	
				192	6.65	
				193	2.39	
				194	2.00	
				195	3.85	
				196	2.75	
			योग	27	200.03	
		वनखण्ड का कुल योग		114	1020.97	
बारां	अन्ता	अमलसरा	अमलसरा	182	6.15	
				185	7.14	
				186	6.98	
				187	5.68	
				190	5.21	
				191	6.99	
				192	14.44	

				193	7.94	
				194	5.21	
				197	8.11	
				198	8.10	
				199	5.34	
				200	11.36	
				201	9.55	
				202	4.72	
				203	7.30	
				204	7.45	
				207	7.62	
				208	7.78	
				209	5.02	
				210	7.96	
				211	4.21	
				212	7.30	
				213	8.59	
				214	5.70	
				215	9.89	
				217	4.88	
				258	6.64	
				259	4.73	
				260	3.57	
				261	4.87	
				262	6.31	
				263	4.21	
		वनखण्ड का कुल योग		33	226.943	
बारां	अन्ता	सोरसन "स"	मानपुरा	136	0.09	
				137	2.64	
				394/138	7.77	
		वनखण्ड का कुल योग		3	10.50	
बारां	अन्ता	अमलसराम द्वितीय (प्रस्तावित)	धाकड़खेड़ी	447	10.31	

				449	11.08	
				450	7.32	
				451	6.53	
				452	10.58	
				453	5.09	
				454	5.18	
				455	1.58	
				456	0.72	
				457	8.12	
				458	6.46	
				460	2.27	
				461	1.22	
				462	1.53	
				464/628	5.90	
				465/629	6.10	
				531	4.90	
				532	3.76	
				533	6.28	
				534	5.70	
				535	8.15	
				536	5.90	
				537	5.55	
				538	3.86	
				539	4.21	
				540	0.04	
				541	5.44	
				542	1.23	
				543	4.40	
				544	1.94	
				545	1.61	
				715/448	5.04	
				716/459	9.00	
			योग	33	167.00	

			अमलसरा	207	10.59	
				208	7.58	
				209	7.67	
				217	7.02	
				218	6.55	
				224	5.69	
				225	10.93	
			योग	7	56.03	
		वनखण्ड का कुल योग		40	223.03	
बारां	अन्ता	धाकडखेडी (प्रस्तावित)	धाकडखेडी	436	5.65	
				437	1.45	
				446	4.16	
				459	4.17	
				463	6.58	
				464	5.21	
				465	3.64	
				466	3.00	
				471	8.62	
				528	3.52	
				529	3.86	
				530	3.78	
				469	11.16	
		वनखण्ड का कुल योग		13	64.80	
बारां	अन्ता	ताखा (प्रस्तावित)	ताखा	368	2.25	
		वनखण्ड का कुल योग		1	2.25	
बारां	अन्ता	नियाना ए (प्रस्तावित)	बिलेण्डी	114	5.80	
				115	9.58	
				116	7.70	
				138	10.81	
				149	3.63	
		वनखण्ड का कुल योग		3	37.52	
बारां	अन्ता	नियाना बी भाग 1	बिलेण्डी	39	13.20	

		(प्रस्तावित)				
			योग	1	13.20	
		भाग 2	बिलेण्डी	41	5.00	
				43	6.52	
			योग	2	11.52	
		वनखण्ड का कुल योग		3	24.72	
		महायोग			1610.73	

अनुसूची -2

सोरसन संरक्षण आरक्षिति प्रथम की सीमाएँ

उत्तरी सीमा:- वनखण्ड अमलसरा के उत्तर-पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर उत्तर पूर्वी कोने तक, यहाँ से दक्षिण दिशा में अमलसरा द्वितीय के उत्तर-पश्चिमी कोने तक तथा यहाँ से अमलसरा द्वितीय के उत्तर पूर्वी कोने तक।

पूर्वी सीमा:- वनखण्ड धाकडखेडी के उत्तर पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में अमलसरा द्वितीय की पूर्वी सीमा में दक्षिण की ओर बढ़ते हुये वनखण्ड सोरसन “अ” के उत्तर पूर्वी कोने तक इस मिलान बिन्दु से तदुपरांत वनखण्ड ताखा की पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में दक्षिण की ओर बढ़ते हुये सोरसन (अ) वनखण्ड की पूर्वी सीमा जो दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए वनखण्ड नियाना ए की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में दक्षिण की ओर बढ़ते हुये सोरसन “सी” के उत्तर पूर्वी कोने को छूती है तथा इस मिलान बिन्दु से वनखण्ड सोरसन “सी” की दक्षिणी पूर्वी सीमा जो सोरसन “अ” के दक्षिण पूर्वी कोने से मिलती है।

दक्षिणी सीमा:- वनखण्ड व सोरसन “ए” के दक्षिणी पूर्वी कोने से पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिमी कोने तक।

पश्चिमी सीमा:- वनखण्ड सोरसन “ए” के दक्षिण पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड नियाना बी भाग 1 व 2 की दक्षिणी पश्चिम कोने से प्रारम्भ होकर पश्चिमी सीमा में उत्तर की ओर बढ़ते हुये वनखण्ड सोरसन “ए” की पश्चिमी सीमा जो उत्तर दिशा में वनखण्ड अमलसरा की दक्षिणी सीमा से मिलती है। इस मिलान बिन्दु से अमलसरा के पश्चिमी कोने तक और यहाँ से वनखण्ड अमलसरा की पश्चिमी सीमा जो उत्तर दिशा में आगे जाकर वनखण्ड अमलसरा की उत्तरी सीमा से मिल जाती है।

इसका कुल क्षेत्रफल 1610.73 हेक्टर होगा।

इस प्रकार **सोरसन संरक्षण आरक्षिति (सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व) प्रथम** घोषित हो जाने के उपरान्त ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि **सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व प्रथम** की सीमाओं के निकट निवास करता है, उसका यह दायित्व होगा कि:-

1. वह इन कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकेगा।
2. यदि उसकी जानकारी में ऐसी कोई बात आती है कि इस कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का अपराध घटित हो गया है तो वह अपराधियों को पहचानने एवं उन्हें गिरफ्तार कराने में स्थानीय वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करे।
3. किसी भी वन्यजीव की मृत्यु होने पर उसके शव की तब तक रक्षा करेगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वनाधिकारी उसको अपने कब्जे में नही ले लेता है।

4. कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में न तो आग जलाएगा और न ही आग को जंगल में जलता हुआ छोड़ेगा। जंगल में आग लगने अथवा आग लगने की जानकारी होने पर उसके शमन का पूर्ण प्रयत्न करेगा तथा उसको जंगल में फैलने से रोकेगा तथा वन अधिकारियों का सहयोग करेगा।
5. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा चिन्हों को न तो नुकसान पहुंचायेगा और न ही उन्हें परिवर्तित अथवा खण्डित करने का प्रयास करेगा।
6. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा में स्वच्छंद विचरण करने वाले वन्यजीवों के साथ न तो छेड़खानी करेगा और न उन्हें सता कर परेशान करेगा।
7. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में गंदगी नहीं फैलाएगा।
8. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए हानिकारक एवं घातक रसायन अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशेषाधिकारी, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।